तारीख हुक्म	मु. न. 141/2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023/341 भेराराम बनाम नगसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से अपील पर अंतिम बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 177 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट्स की खरीदसुदा भूमि है जो अपीलांट्स के पिता मोडाराम पुत्र मोतीराम द्वारा रेस्पोडेंट्स के पिता खिवसिंह पुत्र चुतरसिंह से दिनांक 24.04.1967 को राशि रूपये तीन सौ पच्चीस में पड़ौस दर्शाते हुए खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है, जिसकी ताईद भी तहसीलदार बापिणी के आदेश दिनांक 31.3.2021 के अनुसार तैयार मौका फर्द से होती है। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था जो विद्युत कनेक्शन अब विभाग द्वारा जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट्स के नाम से जारी विद्युत कनेक्शन को स्थापित किये जाने की विधिसम्मत छूट प्रदान की है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा विद्युत कनेक्शन की छूट को बहाल रखते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा सर्वथा गलत, गैर कानूनी तथ्यों का सहारा लेकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन के संदर्भ में पारित करवाया है। अपीलांट्स द्वारा अपनी गलत वल्दीयत बतायी गई है। अपीलांट्स ग्राम भादो के मूल निवासी नहीं होकर ग्राम बरसिंघों का बास के निवासी है, जिनके नाम उक्त ग्राम की वोटर लिस्ट में है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की खातेदारी नहीं होकर रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में दर्ज है जो जमाबंदी से स्पष्ट है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया तथाकथित दस्तावेज दिनांक 26.04.1967 सर्वथा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज में न तो खसरा नंबर का उल्लेख है और न ही पड़ौस का मिलान हो रहा है। अपीलांट्स उपरोक्त फर्जी दस्तावेजात के	

16.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	मु. न. 141/2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023/341 भेराराम बनाम नगसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार पर रेस्पोडेंट्स की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17, संपति अंतरण अधिनियम की धारा 54 एवं राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के प्रावधानों अनुसार तथाकथित दस्तावेज दिनांक 26.04.1967 को कंसीडर ही नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 100/–रू अथवा 100–रू से अधिक अचल संपति का विक्रय अथवा हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2014(7)सी.सी.सी. पेज संख्या 558 एवं 2013(2)सी.सी.सी. पेज संख्या 3 में प्रतिपादित है। रेस्पोडेंट्स की उक्त आराजी बैंक में रहन रखी हुई हैं। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अपीलांट्स द्वारा केवल नवीन साक्ष्य इकट्ठा करने के उद्धेश्य से विद्युत कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है। रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखत हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष की सहमति से पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन नहीं कर सीधे अपील प्रस्तुत की गई है तथा न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पोडेंट्स की तामीली हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भिजवाने के आदेश की पालना नहीं की गई है। अंत में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स खारिज की जावे तथा पूर्व में पारित विद्युत कनेक्शन छूट के आदेश को भी निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2017(सप्ली.)सीसीसी पेज 712(ए.सी.), 2014(1)सीसीसी पेज 188(ए.पी.), 2011(4)सीसीसी पेज 558(ए.सी.), 2013(2)सीसीसी पेज 766(ए.सी.), 2009(2)सीसीसी पेज 141(ए.सी.), 2013(2)सीसीसी पेज 003(राज.) की न्यायिक नजीरे पेश की।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के जरिये घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की छूट की इस्तदुआ चाही है जो न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम आदेश के

16/8/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	मु. न. 141/2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023/341 भेराराम बनाम नगसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जरिये प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात प्रदान की जा चुकी है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स का उज्र है कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं है तथा तथाकथित दस्तावेज दिनांक 26.04.1967 फर्जी एवं कूट रचित है। उभय पक्ष द्वारा जिस दस्तावेज का जिक्र किया गया है, वह हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त दस्तावेज एवं तथ्य का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। अदालत हाजा की राय में घरेलू विद्युत कनेक्शन से प्रकरण की मैरिट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हस्तगत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य संपति अंतरण से संबंधित होने से हस्तगत अपील पर लागू नहीं होते है।

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मुताबिक हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इस स्तर आशय से निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

16.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर